अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–3291 / 9–1–16–141 रिट / 2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1)निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,
लखनऊ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ:दिनांक 18 नवम्बर,2016

विषय–नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती / नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–2021 / 9–1–16–185 सा / 10टीसी, दिनांक 04.07.2016 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त शासनादेश दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट पिटीशन संख्या–39238 / 2016 डा0 मंजू मेहर यादव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 7–9–2016 को पारित आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत है:–

Standing Counsel is granted two weeks time for filing counter affidavit.

The counsel for the petitioner submits the service/appointment of Safai Karmiks in Nagar Palika Parishad is governed by Municipalities Act itself and it is not a centralised service. Thus Municipalities are the competent authorities for their appointment and Government cannot interfere in it. The matter requires consideration.

Till the next date of listing no appointment be made in pursuance of Government order dated 21-12-2015 and 04-07-2016 .

2. उक्त रिट याचिका संख्या–39238 / 2016 डा0 मंजू मेहर यादव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–11–2016 द्वारा डिसमिस कर दी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–11–2016 का प्रभावी अंश निम्नवत है:–

.....It is to be noted that the aforesaid Government order was also subject matter of challenge in Misc Bench No 18820 of 2016 (Mohd Iliyas Vs State of U.P and others) and Writ C No. 39809 of 2016 (Dinesh Kumar Prajapati Vs State of U.P and Others) which have been dismissed vide judgments/orders dated 11.08.2016 and 26-08-2016 respectively. In both these judgments the Government Order has been upheld.

Since the controversy involved in the present case is squarely covered by the aforesaid decisions, this writ petition is also liable to be dismissed.it is acccordingly. dismissed.

3. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित एक अन्य रिट याचिका संख्या–38404/2016 लेखराज बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य को भी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–11–2016 द्वारा डिसमिस कर दिया गया है।

4. कृपया नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा में भर्ती/नियुक्ति के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपर्युक्त आदेशो से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,उ0प्र0/नगर पंचायत, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)

संयुक्त सचिव।